समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी

परिशिष्ट

I. ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)	**क). i)** कच्चे ऊन के विपणन के लिए परिक्रामी निधि	50 लाख रुपए (पश्मीना ऊन के लिए वर्ष में एक बार रोटेट किया जाना है और ऊन की अन्य किस्मों के लिए वर्ष में न्यूनतम दो बार रोटेट किया जाना है)	500 लाख रुपय	• केंद्र/ संबंधित राज्य सरकारें, केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित ऊन बोर्ड, निगम/ऊन उत्पादक संघ, ऊन अनुसंधान संस्थान आदि।	पहाड़ी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार का अनुदान और 10% राज्य सरकार के संगठन/क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी अनुदान और 30% राज्य सरकार संगठन / कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी और शेष राज्यों के लिए 70% केंद्र सरकार का अंनुदान एवं 30% राज्य सरकार के संगठन/क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) का अनुदान।	• ऊन उत्पादक/भेड़ पालक	• क्रियान्वयन एजेंसी परिक्रामी निधि से फील्ड से भेड़ पालकों से सीधे ऊन की खरीद करेगी जिसका उपयोग कम से कम 6 बार किया जाना चाहिए।
	ii) ऊन के विपणन/नीलामी और एमआईएस के विकास के लिए ई-पोर्टल।	5 लाख	50 लाख रुपए				
	ख) ऊन उत्पादक सोसाइटी के गठन के लिए वित्तीय सहायता / प्रोत्साहन	*एमओआरडी के मानकों के अनुसार*	250			• ऊन उत्पादक / भेड़ पालक	
	ग) मौजूदा ऊन मंडियों \ ऊन ग्रेडिंग केंद्रों में ऊन के विपणन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता। (भंडारण हॉल, नीलामी की सुविधा, परीक्षण, मंच आदि)	25 लाख रुपए प्रति मंडी	4 केंद्र के लिए 100 लाख रुपए			राज्य सरकार की ऊन विपणन एजेंसी/ ऊन मंडी	

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
II. ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)	**क)** कार्बनाइजिंग,स्कोरिंग,कार्डिंग,काताई,रंगाई,बुनाई के लिए ऊन प्रसंस्करण मशीनों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना। ऊनी उद्योग के लिए निम्न लागत आधार पर अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन का निर्माण करने के लिए नवीनतम ऊन मशीनरी / तकनीक की शुरुआत/स्थापना करना, घरेलू ऊन की बेहतर खपत के लिए मौजूदा ऊन प्रसंस्करण मशीनों के संशोधन,सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए सहायता।	अधिकतम 100 लाख रुपए प्रति केंद्र तक	5 सीएफसी के लिए 500 लाख रुपये।	• राज्य सरकार द्वारा स्थापित और ऊन विपणन/प्रसंस्करण/ विकास में लगी हुई एजेंसियां।	केंद्र सरकार का अनुदान 70% और राज्य सरकार के संगठन का (आई.ए.) का हिस्सा 30% छोटे उपकरण वितरण घटक के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए वित्त पोषण पद्धति अनुसूचित जनजाति के लिए - 90% केंद्रीय सरकार और 10% लाभार्थी / आई.ए., अनुसूचित जाति के लिए -75% केंद्रीय सरकार और 25% लाभार्थी / आईए,सामान्य वर्ग के लिए- 50% केंद्रीय सरकार और 50% लाभार्थी / आई.ए.	• ऊन उपयोगकर्ता/बुनकर / छोटे उद्योगपति	• आइ.ए. द्वारा भूमि, निर्माण और आवर्ती लागत प्रदान की जानी है • प्रसंस्करण सुविधा के लिए शुल्क का निर्धारण सीडब्ल्यूडीबी द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाएगा • मशीनों की मंजूरी के सात साल बाद इसे पूरी तरह से आई.ए. को हस्तांतरित किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुदान निम्नानुसार जारी किया जाएगा- (i) स्वीकृति के समय: कुल अनुदान का 30% (ii) संयंत्र / मशीनरी के खरीद आदेश के स्थान के समय: कुल अनुदान का 60% (iii) संयंत्रों को चालू करने के बाद : कुल अनुदान का शेष 10%
	ख) शीप शियरिंग के लिए वित्तीय सहायता	अधिकतम 3 लाख रुपए प्रति मशीन तक	50 मशीनों के लिए 150 लाख रुपए			• कम लागत वाली शियरिंग के माध्यम से ऊन उत्पादक	
	ग) बेल प्रेस मशीन, परीक्षण उपकरण आदि जैसी अन्य मशीनें/ उपकरण	अधिकतम 25 लाख / मशीन	4 मशीनों के लिए 100 लाख रुपए			• ऊन विपणन/विकास में लगी राज्य सरकार की	

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
						एजेंसियां	
	घ) जरूरतमंद व्यक्तियों को ऊनी वस्तुओं (बुनाई मशीन, चरखा आदि) के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता	5000 रुपए प्रति बुनाई मशीन/ चरखा	1000 छोटे उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए			• ऊनी कारीगर, बुनकर और बेरोजगार युवक	
III. मानव संसाधन और संवर्धनात्मक क्रियाकलाप योजना	**क)** हथकरघा, कौशल उन्नयन पर ऊनी वस्तुओं के विनिर्माण / बुनाई के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम , संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण	एक वर्ष में 40 व्यक्तियों के लिए 10 लाख रु. विवरण**अनुलग्नक-क में है**।	4 प्रशिक्षण के लिए 40 लाख रुपए	• केंद्र /राज्य सरकार पशुपालन विभाग; ऊन बोर्ड, निगम / ऊन उत्पादक संघों, ऊन अनुसंधान संस्थानों आदि की स्थापना केन्द्रीय / राज्य सरकारों द्वारा की गई है	पहाड़ी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार अनुदान और 10% राज्य सरकार संगठन / कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी और शेष राज्यों के लिए 70% केन्द्रीय सरकार का अनुदान और 30% राज्य सरकार संगठन / कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) हिस्सेदारी	• ऊनी कारीगर, बुनकर और बेरोजगार युवक	
	ख) में संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण **(i)** - वैज्ञानिक भेड़ पालन \ कृत्रिम गर्भाधान	50 व्यक्तियों के लिए 3 लाख रु. प्रति प्रशिक्षण	10 प्रशिक्षण के लिए 30 लाख रुपये			• ऊन उत्पादक	
	(ii) मशीन शीप शियरिंग पर प्रशिक्षण	20 व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रु. प्रति प्रशिक्षण					
	ग) आर एंड डी के लिए परियोजनाएं - • उतपाद विविधीकरण, उत्पाद विकास, प्रक्रिया संशोधन, • डब्ल्यूआरए एंड वस्त्र	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (अधिकतम रुपये 40 लाख रुपये)	225 लाख रुपये		केन्द्रीय सरकार70% और 30% कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	• ऊनी उद्योग	

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
	समिति के साथ मिलकर ऊन की ब्रांडिंग और लेबलिंग, स्वदेशी ऊन और भारतीय वूल मार्क्स का मानकीकरण करना।						
	घ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / सम्मेलन / सहयोग / सेमिनार / कार्यशाला, मेले / प्रदर्शनी, सर्वेक्षण / अध्ययन, दौरे और बोर्ड की योजनाओं की निगरानी / परियोजनाओं के मूल्यांकन	सेमिनार \ वर्कशॉप-2 लाख भेड़ मेला -5 लाख सर्वे \ मॉनिटरिंग - 28 लाख	35 लाख रुपये	केन्द्रीय / राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय ऊन संगठन / मूल्यांकन एजेंसी / परामर्श एजेंसी आदि द्वारा स्थापित केन्द्रीय / राज्य सरकार के संगठनों/ अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से सीडब्लूडीबी	पहाड़ी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार अनुदान और 10% राज्य सरकार संगठन /कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी और शेष राज्यों के लिए 70% केन्द्रीय सरकार का अनुदान और 30% राज्य सरकार संगठन / कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी	ऊन क्षेत्र के हितधारक	
	ङ) नोडल एजेंसी अर्थात सीडब्ल्यूडीबी के लिए अन्य सहायक व्यक्तियों के साथ परामर्शदाता / विषय विशेषज्ञों की सेवाओं की भर्ती के लिए ऊन परीक्षण लैब, प्रशिक्षण केंद्र, ऊन इनोवेशन सेंटर का संचालन करना।	सीडब्लूडीबी के चालू केंद्रों की स्थापना पर खर्च	60 लाख रुपये सीडब्लूडीबी केंद्र		सीडब्लूडीबी द्वारा लागू किया जाएगा (100%)	• ऊन उपयोगकर्ता / व्यापारी / उद्योग	
	च) स्वच्छता, स्वच्छ ऊन प्रसंस्करण और नई तकनीक को अपनाने पर जागरूकता कार्यक्रम	जागरूकता कार्यक्रम- 0.50 लाख रु., शौचालय का निर्माण -0.30 लाख रु.	10 लाख रुपये		पहाड़ी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार अनुदान और 10% राज्य सरकार संगठन /कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी और शेष राज्यों के लिए 70% केन्द्रीय सरकार का अनुदान और 30% राज्य		

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
					सरकार संगठन / कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी		
IV. सामाजिक सुरक्षा योजना (भेड़ पालक बीमा योजना)	सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में भेड़ पालक बीमा योजना के अंतर्गत 7 लाख भेड़ प्रजनकों को लाभान्वित करने के लिए समाचारपत्रों आदि के माध्यम से प्रचार करने सहित एलआईसी को दिए गए सरकारी अंशदान की राशि ।	342 / - रु.के कुल प्रीमियम में योगदान के लिए प्रति भेड़ पालक 122 रु. विभिन्न राज्यों से कुल 7 लाख भेड़ पालक	1200 लाख रुपये।	केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एलआईसी और राज्य पशुपालन विभागों / भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड / निगम की सहायता से भेड़ पालक बीमा योजना को लागू करना और ऊन	प्रति लाभार्थी कुल 342 रु. की प्रीमियम राशि में केंद्र सरकार का अंशदान 162 रु., भेड़ पालक का अंशदान 80 रु. एलआईसी की हिस्सेदारी द्वारा 100 रु.।	भेड़ पालक	
V. अंगोरा ऊन विकास योजना	**क) जर्मप्लाज्म केंद्र (जीपीसी)** - राज्य सरकार में अंगोरा खरगोश का उत्पादन करने के लिए किसानों को खरगोश फार्मों का वितरण फाउंडेशन स्टॉक के रूप में किया जाए	प्रति यूनिट 5 लाख रुपये। विवरण **अनुलग्नक- ख में है**	4 केंद्रों के लिए 20 लाख रुपये। (जीपीसी)	• केंद्रीय \ राज्य सरकार पशुपालन विभाग ; ऊन बोर्ड, निगमों / ऊन उत्पादकों के फेडरेशन, ऊन अनुसंधान संस्थानों आदि की स्थापना केन्द्रीय / राज्य	पहाड़ी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार अनुदान और 10% राज्य सरकार संगठन /कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी और शेष राज्यों के लिए 70% केन्द्रीय सरकार का अनुदान और 30% राज्य सरकार संगठन / कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की हिस्सेदारी	राज्य सरकार अंगोरा खरगोश फार्म	
	ख) मिनी अंगोरा फार्मों की स्थापना - व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा मिनी अंगोरा खरगोश खेतों की स्थापना	रुपये। विभिन्न राज्यों में 20 लाख प्रति खेत विवरण**अनुलग्नक- ग में है**	9 मिनी फार्म के लिए 180 लाख रुपये।			अंगोरा खरगोश रियरर्स	

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
				सरकारों द्वारा की गई है।			
VI. ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)	**12 वीं योजना की चल रही परियोजनाओं के तहत देयताएं : -** 12 वीं योजना अवधि के दौरान 3 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए स्वीकृत 21.14 लाख भेड़ के लिए चालू एसवीआईएस परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय देनदारियों को पूरा करना।	आई.ए. को कार्यान्वयन शुल्क के रूप में 18 / - रुपये, 5000 रु. स्टड रेम की दर से नस्ल सुधार, और 5 / - भेड़ की देयता	1400 लाख रुपये।	राज्य सरकार पशुपालन विभाग; ऊन बोर्ड, निगम / ऊन उत्पादक संघों, ऊन अनुसंधान संस्थानों आदि की स्थापना केन्द्रीय / राज्य सरकारों द्वारा की गई है।	100% केंद्र सरकार का अनुदान (12 वीं योजना की चालू परियोजनाओं की देयताएं)	भेड़ \ भेड़ पालक	

VII. जम्मू-कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण योजना

रुपये लाख में

घटक	उप-घटक	यूनिट मूल्य	सीमा \ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान पैटर्न / योगदान	लाभार्थियों	टिप्पणियों

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
VII. जम्मू-कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण योजना	**1 - कच्ची पश्मीना का उत्पादन बढ़ाना**		2194		100% केंद्र सरकार सहायता		
	1 क- चांगरा बकरी के पोषण की स्थिति में सुधार करना-अपरंपरागत फ़ीड और रेंजलैंड प्रबंधन का संवर्धन		593			पश्मीना नोमड्स, पश्मीना ऊन बुनकर और कारीगर / उद्योग बेरोजगार युवक	
	1. क.1 - 6 सामुदायिक चारा भूमि का विकास (एक इकाई = 10 हेक्टेयर) **विवरण अनुलग्नक-1 में है।**	25 लाख	लेह और कारगिल में 6 परियोजनाओं के लिए 150	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल		• **1 क 1** : 100 % अनुसूचित जनजाति श्रेणी।	**1 क 1 और 1 क 2: -** • स्थान- लेह एवं कारगिल में 5 ब्लाक । • 100% लाभार्थी एसटी • सीमांत और गरीब किसानों की पसंद • लेह में 30 हेक्टेयर में 1 विभागीय चारा फार्म और छः 10 हे बंजर समुदाय भूमि को फार्म के रूप में
	1. क. 2 - विभागीय चारा भूमि का विकास (एक इकाई = 30 हेक्टेयर) **विवरण अनुलग्नक-2 में है।**	150 लाख	लेह में 1 परियोजना के लिए 150	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद,		• **1 क 2:** 100% अनुसूचित जनजाति श्रेणी	

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
				(एलएएचडीसी) लेह / कारगिल			विकसित किया जाना है। • घास, सिंचाई की सुविधा, उर्वरक, कटाई की सुविधा, सूखी घास की शेड, सोलर माइक्रो सिंचाई प्रणाली जैसेआवश्यक इनपुट फार्म में दिए जाएंगे।
	1. क.3 - फीड **पेलेटिंग**, चारा ब्लॉक बनाने की मशीन। **विवरण अनुलग्नक-3 में है।**	293	लेह में 1 परियोजना के लिए 293	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह /कारगिल			
	1. ख - पशुपालनकर्ताओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान:		475				
	1 ख -1 - गार्ड रूम (100 नग) के साथ शेल्टर शेड	प्रति आश्रय 2.25	100 आश्रय के लिए 225	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ)	**1 ख 1 :** आईए द्वारा डीबीटी के माध्यम से आश्रय के	**1 ख 1** : न्यूनतम 25 पश्मीना बकरियों / परिवार के	**1 ख 1 :** • स्थान: लेह और कारगिल क्षेत्र

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
				लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल	निर्माण के तहत 6 किश्तों में अनुदान जारी किया जाएगा जैसे- **1** - एक अग्रिम के रूप में लाभार्थी का चयन: 10,000 रुपये **2** -भूखंड के स्थान के साथ स्थान को अंतिम रूप देने के बाद 40,000 **3**- निर्माण सामग्री एकत्र करने के बाद: 40,000 रु.। **4**- भूखंड / जमीन के बाड़ लगाने का काम और पशु शेल्टर कार्य के पूरा होने पूरा होने के बाद: 60,000 रु.। **5**- गार्ड कक्ष और छत स्तर के कार्य के समापन के प्रथम चरण के निर्माण : रुप	झुंड के आकार वाले गरीब पश्मीना ऊन उत्पादक / किसान ।	• **लेह जिले के चंगथांग क्षेत्र में आश्रय के लिए शेड** • लाभार्थियों की सूची में डीसी / सीईओ की मंजूरी होना चाहिए। • निर्माण मानचित्र और डिजाइन के अनुसार होना चाहिए। • लाभार्थियों को सामग्री और श्रम की खरीद के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। परिवार के श्रम का इस्तेमाल किया जा सकता है • राज्य सरकार की एजेंसियां सामग्री हासिल करने में उन्हें मदद कर सकती हैं और गतिविधि के बारे में प्रशिक्षण

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
					50,000 रुपए। **6** - समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के साथ परिष्करण कार्य पूरा होने के बाद : 25,000 रु.। लाभार्थी के साथ साइट के फोटो /वीडियो क्लिप का प्रमाण रखा जाना चाहिए।		कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। • यूनिट का आबंटन परिवार के महिला सदस्य या पुरुष / महिला दोनों के नाम पर होना चाहिए, या पुरुष के नाम पर महिला की अनुपस्थिति में होना चाहिए। • गांव/क्लस्टर के मुख्य आवास में आश्रय का स्थान होना चाहिए। • आश्रय का कवर क्षेत्र 150 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए। • डिजाइन /लेआउट राज्य सरकार एजेंसियों/एलएएचडीसी द्वारा प्रदान किया

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
							जाएगा। • निर्माण केवल ले आउट प्लान के अनुसार किया जाना चाहिए।
	1.ख 2 - तंबू, बर्फ के जूते, मशाल के लिए व्यवस्था	0.25	600 इकाइयों के लिए 150	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल।		**1ख 2:** नोमैडिक परिवार	**1ख 2:** • ।क मदों के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप देगा। • जिला खरीद समिति निविदाओं के माध्यम से वस्तुओं की खरीद करेगी • जन-प्रतिनिधियों के परामर्श से नोमैडिक परिवारों का चयन किया जाएगा। • माइग्रेशन की वार्षिक अवधि, कुल पशुओं की संख्या के साथ प्रयोग किए गए चारागाह की सं./ वर्ष, परिवारों की संख्या

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
							पर विचार किया जाएगा। • लाभार्थी की सूची उपायुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
	1ख.3 - किसान/वन्यजीव के संघर्ष को कम **करना** - शिकारी प्रूफ कोरल और एलईडी लाइट की व्यवस्था। **विवरण अनुलग्नक -4 में है।**	1.00	100 इकाइयों के लिए 100 ।	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल		**1ख 3:** जंगली हमला प्रवण गांवों में 100 भेड़ और बकरी पालक।	• **1 ख 3:** जिला वन्यजीव विभाग द्वारा और जंगली हमले की घटनाओं के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। • फुट ऊंचाई की ईंट और पत्थर की दीवार के साथ 15x15 फुट का कोरल आयाम। • वितरण समितियों में स्थानीय / क्षेत्रीय / विभाग के अधिकारी होने चाहिए।

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
	1ग.गांव / ब्लॉक और जिला स्तर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना विवरण अनुलग्नक -5 में है।		300				
	1. ग-1 - दूरस्थ और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भेड़ एक्सटेंशन / प्राथमिक चिकित्सा का निर्माण केंद्र का निर्माण और मौजूदा केंद्रों को सुदृढ़ बनाना । 1.	नया सृजन -35 लाख मौजूदा - 5 लाख	200 लाख (5 नई इकाइयों के लिए 175 और 5 मौजूदा के लिए 25 लाख)	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल और शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-कश्मीर एस के यू ए एस टी-के और पशु भेड़ पालन और मत्स्य पालन विभाग (एएसएच एंड एफ)			**1ग1:** • गुरेज़, सोनमर्ग, जंसकर, द्रास और नोबरा में 5 केंद्र बनाए जाएंगे। • लेह और कारगिल में मौजूदा 5 केंद्र को उन्नत किया जाएगा। • पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग नोडल एजेंसी होगी। पीडब्ल्यूडी को निर्माण एवं नवीकरण ढांचे में शामिल किया जाएगा।
	1. ग-2 - वैक्सीन भंडारण और हैंडलिंग का निर्माण जिला और ब्लॉक स्तर पर केंद्र	3 इकाइयां और 2 टीका	100 लाख (3 इकाइयों के लिए	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ)			**1ग2:** • लेह, दरबक और नुब्रा जिले में

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
		वैन	75और 2 वैन के लिए 12.5	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल और शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-कश्मीर एस के यू ए एस टी-के और पशु भेड़ पालन और मत्स्य पालन विभाग (एएसएच एंड एफ)			सोलर पावर के साथ 3 केंद्र • 2 टीकाकरण वैन खरीदे जाएंगे।
	1. घ: नस्ल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए चांगरा बकरी का चुनिंदा प्रजनन और परिणाम आधारित अध्ययन **विवरण अनुलग्नक -6 में है।**	76 लाख	एक अध्ययन के लिए 76 लाख	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल		**1 घ:** बकरी पालक	**1 घ:** वेटनरी की विशेषज्ञता वाले पशु चिकित्सक समिति के माध्यम से पशु खरीदे जाएंगे । • जानवरों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए: • आयु- 1.5 से 2.5 वर्ष

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
							• वजन: 30 किलो से अधिक • बाडी कोट: रंग अधिमानी रूप से सफेद होना चाहिए • रोग / दोष से मुक्त • समिति के माध्यम से वितरण किया जाएगा।
	1.ड़.पहचान किए गए लाभार्थियों के परिवारों के लिए सोनमर्ग, द्रास, गुरेज, नोबरा एवं ज़ांस्कर सहित पहचान किए गए गैर पारंपरागत क्षेत्रों में पश्मीना बकरी इकाइयों की स्थापना करना। **विवरण अनुलग्नक -7 में दिया गया है।**	1.95	300 पश्मीना खेतों के लिए 585	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल और शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-कश्मीर एस के यू ए		**1.ड़ :** • जिन ब्रीडर्स के पास 30-50 पशु (या आईए द्वारा निर्दिष्ट सीमा) हैं • लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। कर्मचारी (झुंड पर्यवेक्षक, स्टॉक सहायक,एवं सहा. स्टॉक मेन)	**1.ड़ :** गैर पारंपरिक क्षेत्र में उपयोग किए जाने के लिए • 300 मिनी पश्मीना खेतों की स्थापना की जाएगी। • प्रति खेत इकाई में फाउंडेशन स्टॉक के रूप में 19 डोज और 1 बक। • स्थानीय प्रतिनिधियों / समुदाय

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
				एस टी-के और पशु भेड़ पालन और मत्स्य पालन विभाग (एएसएच एंड एफ) लाइव स्टॉक खरीद समिति			के नेताओं को शामिल करने के लिए लाभार्थियों का चयन • लाभार्थी की सूची उपायुक्त /कार्यकारी काउंसिलर लेह / कारगिल द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
	1. च- खांग्रल में मौजूदा पश्मीना बकरी फार्म का उन्नयन **विवरण अनुबंध -8 में दिया गया है।**	165	1 फार्म के लिए 165	जिला श्रम पशुपालन अधिकारी (डीएसएचओ) लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद, (एलएएचडीसी) लेह / कारगिल			**1. च-** • चारा खेती के लिए बंजर भूमि के 100 अतिरिक्त कनाल विकसित किए जाएंगे।
	2. मॉडल उत्पादन क्षेत्र की स्थापना		1790		100% केंद्र सरकार की सहायता		
	2. क - डिजाइन, कौशल और क्षमता उन्नयन **विवरण अनुबंध -9 में दिया गया है।**	• क्षमता निर्माण के लिए 0.50 लाख रुपये/	130	लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद (एलएएचडीसी) /शि			**2A:** कारीगरों को विविधतापूर्ण उत्पाद प्रोफाइल के लिए उत्पाद

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
		कार्यशाला • उत्पाद विविधीकरण के लिए 3.00 लाख रुपये/ कार्यशाला • 05.0 लाख /उद्यमिता के लिए कार्यशाला • जागरूकता के लिए 05.0 लाख रुपये / कार्यशाला		ल्प विकास संस्थान (सीडीआई) / जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प विभाग (जेकेएचडी)			विकास और डिजाइन विकास प्रशिक्षण दिया गया।
	3. **2ख.**- उपकरण और प्रौद्योगिकियों का उन्नयन **विवरण अनुबंध -10 में दिया गया है।**	स्पिनिंग व्हील के लिए 5000 रुपये, हथकरघा के लिए 1000 0 / -रु, कौशल प्रशिक्षण के लिए 2500 / -रुपए।	300 लाख	शिल्प विकास संस्थान (सीडीआई) / जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प विभाग (जेकेएचडी / जेकेएचडीसी)			**2 ख:** परंपरागत बुनकरों द्वारा उपयोग किए जा रहे करघों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
	4. **2.ग**- सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण **विवरण अनुबंध -11 में दिया गया है।**	पश्मीना ऊन प्रसंस्करण मशीन	450	जम्मू और कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड,जेकेआई) / जम्मू और कश्मीर लघु उद्योग विकास	**2 ग**:प्रसंस्करण मशीनों के लिए -3 किश्तों में • स्वीकृति के समय 30% ; • खरीद का		**2ग:** • काटे गए पश्मीना ऊन के लिए लेह में सीएफसी की स्थापना की जाएगी।

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
				निगम (एसआईसीओपी)	आर्डर देते समय 60% ; • संयंत्र की शुरुआत के बाद; • प्रत्येक घटक के लिए संबंधित आईए द्वारा डीपीआर प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कार्यान्वयन के तरीके का विवरण लाभार्थियों का चयन ,निर्माण भाग आदि का अनुमान शामिल है ।		• आईए द्वारा भूमि / भवन प्रदान किया जाएगा • फंड मशीनरी सहित कार्डिंग, रंगाई, वार्पिंग, वाशिंग, कैलेंडरिंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग सहित मशीनों के लिए निधि उपलब्ध कराइ जाएगी। • निधियों का उप योग फर्नीचर, जुड़नार और इंटीरियर के लिए किया जाएगा।
	2. घ- 3. **कच्ची सामग्री बैंक**	410		लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) / जम्मू और कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेकेआई) /शिल्प विकास संस्थान (सीडीआई)			**2 घ:** • भेड़ पालकों से से कच्ची पश्मीना खरीदने के लिए लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र में 200 लाख रुपए के बढ़ी हुई रिवाल्विंग निधि का

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
							प्रावधान। • सीडब्लूडीबी एवं डब्ल्यूआरए द्वारा ग्रेडिंग सिस्टम और अनुसंधान एवं विकास काय्र किए जाएंगे।
	2. घ **1** – कच्ची ऊन और पश्मीना (लद्दाख क्षेत्र) के लिएरिवाल्विंग निधि	200	200 लद्दाख के लिए				
	2. घ **2-** कच्ची पश्मीना और पश्मीना (कश्मीर क्षेत्र) के लिए रिवाल्विंग निधि	200	200 कश्मीर के लिए				
	2. घ 3- पश्मीना की ग्रेडिंग के लिए अनुसंधान और विकास	10	10				
	2. ड़: सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का उन्नयन **विवरण अनुबंध -12 में दिया गया है।**	4 क्लस्टर के लिए 500	4 क्लस्टर के लिए 500	उद्योग और वाणिज्य विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार			**2 ड़:** • पश्मीना और कानी के मॉडल

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
							उत्पादन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं और शिल्प समूहों के बुनियादी ढांचे का उत्थान • भूमि और सड़क का विकास तथा जल आपूर्ति की , जल निकासी, बिजली वितरण में सुधार की बढ़ोतरी • भवन/फेकेड का फेस उन्नयन
	3. पश्मीना संसाधन केंद्र की स्थापना		1 केंद्र के लिए 300	लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद (एलएएचडीसी) , लेह /क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (सीडीआई)			3. **उत्कृष्टता केंद्र** • मौजूदा पश्मीना परीक्षण और प्रमाणन केंद्र (पीटीक्यूसीसी) को उपकरणों और सुविधाओं और मान्यता के उन्नयन के द्वारा उत्कृष्टता केंद्र में विकसित करना।

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
	4-पदोननति और जागरूकता		316	उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार			**4. पदोन्नति और जागरूकता:** • राष्ट्रीय अख़बारों, फैशन और लाइफस्टाइल पत्रिकाओं, बोर्डिंग पास और फ्लाइट मैगज़ीन के माध्यम से विज्ञापन की जानकारी। • हवाई अड्डों पर पोस्टर, ब्रांचर्स, फ्लायर, बैनर और होर्डिंग्स के माध्यम से • टीवी और रेडियो, लघु फिल्म, • पश्मीना शिल्प के लिए समर्पित वेब डोमेन की स्थापना
	4. क - प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम	अखबार विज्ञापन	280				

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
	से प्रचार मीडिया **विवरण अनुबंध -13 में दिया गया है।**	के लिए डीएवीपी दर के अनुसार					
	4.ख- वीडियो फिल्मों का निर्माण करना **विवरण अनुबंध -14 में दिया गया है।**	1 फिल्म के लिए16	16				
	4.ग- पश्मीना शिल्प के लिए समर्पित वेब डोमेन की स्थापना	एक परियोजना के लिए 20	20				
	5 व्यापार संबंध और विपणन मंच का विकास		300				
	5 क: - यात्रा, बोर्डिंग और लॉजिंग (कम से कम 5 में भागीदारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों) सहित प्रदर्शनों और प्रदर्शनी **विवरण अनुबंध -15 में दिया गया है।**	120	5 प्रदर्शनियों के लिए 120	जम्मू और कश्मीर हथकरघा विकास निगम जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प विभाग			**5 ए:** • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में विकसित उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। • जेकेएचसी जैसे मौजूदा विपणन चैनलों को मजबूत करना

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
	5 ख : जेकेएचसी का सुदृढ़ीकरण **विवरण अनुबंध -16 में दिया गया है।**	180	180				**5 ख:** • इंटरनेट आधारित विपणन मॉडल का विकास कारीगर डेटाबेस, आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार मॉडल, भुगतान गेटवे, आवश्यक उपकरणों के साथ-साथ घर स्टूडियो, वेब होस्टिंग स्पेस, फर्नीचर होना चाहिए। • मौजूदा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती, वेब पोर्टल की डिजाइन और विकास। संवर्धन और इसका प्रचार
	6. परियोजना परामर्श, प्रबंधन, मूल्यांकन और नियंत्रण विवरण अनुबंध -17 में दिया गया है।	100	100	जम्मू एवं कश्मीर सरकार अथवा राज्य द्वारा स्थापित एजेंसी			**6.** डीपीआर तैयार करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
							की पहचान करना । यह निम्नलिखित के लिए भी जिम्मेदार होगी:- **i)** परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मानक और प्रक्रियाओं की स्थापना करना । **ii)** कुशल प्रबंधन और कार्यान्वयन। परियोजना के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसी। प्रगति और परिणामों का ट्रैकिंग। निर्धारित मानकों के साथ वास्तविक निष्पादन की पुष्टि की जाएगी। सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाएगा और कार्यान्वित किया

समेकित ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए संघटक-वार विस्तृत दिशानिर्देश

(रुपये लाख में)

संघटक	उप-संघटक	यूनिट मूल्य	सीमा\ बजट आवंटन	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	अनुदान की पद्धति / अंशदान	लाभार्थी	टिप्पणी
							जाएगा।

1